



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129359

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19962 वर्ष 2026

विमलेश

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: चंद्र प्रकाश पांडे, मुकेश कुमार द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना-मोहम्मदाबाद, जिला-फर्रुखाबाद के मुकदमा अपराध संख्या 0106/2026, बीएनएस की धारा 137(2) और 87 के तहत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। बीएनएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। इस मामले के अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया है कि आवेदक किसी भी तरह से अपराध करने में शामिल नहीं था। इन हालात में, यह दलील दी गई कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। ज़मानत मिलने पर, वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुक़दमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की ज़मानत याचिका का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस सुविचारित मत का हूँ कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बना लिया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक - **विमलेश** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे।

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसके लिए उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

(iii) आवेदक को एक हलफनामा दाखिल करना होगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर, जब गवाह अदालत में उपस्थित हों, स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में,

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

(iv) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर, व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उनकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-ए (तदनुरूप धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीआर.पी.सी की धारा 82 (तदनुरूपी बीएनएसएस की धारा 84) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174-A (तदनुरूपी बीएनएस की धारा 209) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने, और (3) सीआर.पी.सी की धारा 313 (तदनुरूपी बीएनएसएस की धारा 351) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदकों की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही करना खुला होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अवर न्यायालय द्वारा ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I)

23 जून 2026

आशुतोष

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”